मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति/धनबाद

(अवधि - 16.08.2024 to 15.08.2026)

क्रम. संख्या	मं.रे.उ.स.स/धनबाद के सदस्यों के नाम व पता	संवर्ग	दूरभाष संख्या
1	श्री पिंटू कुमार सिंह पिता - श्री सहदेव सिंह बाबुडीह कॉलोनी पोस्ट - बी. पॉलिटेकनिक थाना +जिला – धनबाद झारखण्ड- 828130	माननीय सांसद श्री खीरू महतो /राज्य सभा, भारत सरकार द्वारा नामित	मो.- 9006313060 9304743036
2	श्री बिरेन्द्र कुमार यादव पिता- स्व.रामव्यास यादव कतरास मोड़, शांति भवन, निकट गणेश पेट्रोल पम्प, राजग्राउंड, झरिया, धनबाद झारखण्ड -828111	भारतीय विकलांग संघ, झरिया	मो.- 9431538079 9835379379
3	श्री मृत्युंजय दास पिता- श्री बिन्देश्वर दास माँ लक्खी भवन, बारामूरी मिडिल स्कूल के नजदीक, पोस्ट- बी. पॉलिटेकनिक थाना + जिला - धनबाद झारखण्ड- 828130	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (उद्योग संघ)	मो.- 9470599791
4	श्री भरत रजक पिता - श्री जगदीश रजक गुलजारबाग, खलारी जिला – राँची, झारखण्ड -829205	श्री संजय सेठ माननीय केन्द्रीय रक्षा मंत्री, भारत सरकार सह सांसद लोक सभा/राँची द्वारा नामित	मो.- 8434505551 9430779874
5	श्री चेतन प्रकाश गोयनका न्यू चेतन ऑरनामेंट्स, 8 ए राठौर मेन्सन, बैंक मोड़ धनबाद, झारखण्ड	फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला, चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ,धनबाद	मो.- 9431120675
6	श्री राजन चौधरी (डिप्टी रजिस्टार, स्थापना) वर्तमान पता – एडमिन ब्लॉक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (भारतीय खनि विद्यापीठ) धनबाद स्थायी पता - अहिरवार पेट्रोल पंप के पीछे ,चकेरी, पोस्ट – हरजिंदर नगर, कानपुर , उत्तर प्रदेश पिन – 208007	विशेष हित	मो. – 9051588990
7	श्री प्रवीण सिंह (प्लांट लोजिस्टिक हेड) अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड डाला , सीमेंट वर्क्स ,कोटा , जिला - सोनभद्र राज्य – उत्तर प्रदेश स्थायी पता – एस ए 6/187-4A , हरि नगर कॉलोनी , अकथा रोड , पहरिया , वाराणसी , उत्तर प्रदेश पिन - 221007	अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (उद्योग संघ)	मो.- 8380092123

क्रम. संख्या	मं.रे.उ.स.स/धनबाद के सदस्यों के नाम व पता	संवर्ग	दूरभाष संख्या
8	श्री हिमांशु आर्य पता – सी .75 बसंत कुंज , मोरवा , सिंगरौली मध्य प्रदेश पिन - 486889 स्थायी पता – 707 आनंद विहार कॉलोनी बर्गावान कटनी , मध्य प्रदेश पिन - 483501	नॉदर्न कोल लिमिटेड (उद्योग संघ)	मो. - 9406711695 7697924497
9	श्री पदीप पटेल माननीय विधायक , मऊगंज , मध्य प्रदेश पता – एच आई जी 3 , बैंक कॉलोनी , नेहरु नगर , रीवा , मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा नामित (विधायक संवर्ग)	मो . 09425810245
10	श्री जी पी वर्मा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण परिक्षेत्र , भोपाल मध्य प्रदेश पता – E 6 /5C चार इमली भोपाल , मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नामित	दूरभाष – 07552777146 मो. 9425002568

मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के उप-नियम

1.0 प्रस्तावना:

रेल उपभोक्ताओं का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के ख्याल से एवं पूर्व मध्य रेल प्रशासन एवं उपभोक्ताओं के बीच इस रेल द्वारा प्रदत्त सेवा से संबंधित मामलों पर विचार- विमर्श के अधिक अवसर प्रदान कराने तथा विभिन्न मंडलों में ऐसी सेवाओं के लिए दक्षता में समुचित सुधार लाने के लिए यह समिति गठित की गई है।

2.0 कार्यः

मंडलों में रेल सलाहकार समिति स्थानीय उपभोक्ताओं को प्रतिनिधित्व करेंगे जो रेलवे द्वारा उस क्षेत्र में संचालित होते है और निम्न सुविधाओं पर अपना विचार देंगी-

i) क्षेत्र में समिति से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था।

ii) समिति के क्षेत्राधिकार में नये स्टेशनों को खोलने के संबंध में प्रस्ताव।

iii) समय-सारणी के संबंध में व्यवस्था।

iv) रेलवे द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं एवं सुविधाओं में सुधार।

v) आम जनता के हित में अथवा जन-सुविधा अथवा ऐसे मामले जिससे सेवाए एवं सुविधाए प्रभावित होती है जो उपभोक्ता द्वारा उठाया जाता है अथवा इसे विचारार्थ क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता समिति, राष्ट्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद अथवा प्रशासन द्वारा उनके पास भेज दिया जाता है।

मंडल समिति जो इन नियमों के तहत गठित की गई है, वे स्वभाव के अनुरुप परामर्श दात्री होंगी। कर्मचारियों से संबंधित प्रश्न, अनुशासन एवं नियुक्ति समिति के समक्ष न लाई जाय।

3.0 समिति का गठनः

मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति नियुक्त किए गए व्यक्तियों को रखेंगी जो क्षेत्र के रेल उपभोक्ताओं के बीच प्रधानहित का प्रतिनिधित्व करेंगी।

रेलवे से जुड़े लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति अर्थात कैटरिंग एवं वेंडिंग ठेकेदार, आउट एजेंसी ठेकेदार, हैंडलिंग ठेकेदार, इंजीनियरिंग ठेकेदार आदि जो मालगोदामों में दिनानुदिन प्रत्यक्ष रुप से कार्य में लगे रहते हैं जैसे फारवडिंग एजेंट रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति एवं रेल उपभोक्ता सलाहकार परिषद की सदस्यता के पात्र नहीं है।

4.0 मंडल रेल प्रबंधक संबंधित मंडल समिति के पदेन सदस्य होते है और इन समितियों के संबंधित सचिव वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक/मंडल वाणिज्य प्रबंधक होंगे।

5.0 पदावधिः

समिति के लिए नियुक्त किए गए अथवा नामित किए गए प्रतिनिधियों की पदावधि जब जैसी स्थिति हो दो साल से अधिक न होगी।

6.0 मंडल समिति के कार्य के संचालित करने के लिए नियमावलीः

i) मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की बैठक साधारणतः त्रैमासिक होगी, किंतु वर्ष में तीन बार से कम न हो।

ii) चर्चा के विषय, उपर्युक्त पैरा 2 में दर्षाए गए नियम को सुनिश्चित करेगा, व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ अवश्य ही भेजा जाए ताकि औपचारिक प्रतीक्षा किए बिना वह समिति के सचिव के पास बैठक आयोजित किए जाने के कम से कम एक माह पूर्व पहुच जाए, ताकि बैठक की कार्यसूची में सामिल करने के लिए दिए गए प्रस्तावों पर समय पर विचार किया जा सके। आवष्यक विषयों पर अध्यक्ष के अनुमति से तत्काल विचार विमर्श के लिए अनुमति ली जाए।

iii) इसमें दर्शाए गए नियमानुसार अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत किए गये कार्य सूची के रुप में अगली बैठक के लिए तैयार किया जाए और प्रारंम्भिक अभ्युक्तियों के साथ कार्य सूची के एक प्रति बैठक निर्धारित होने की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सदस्यों, महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्षों को भेज दी जाएगी।

iv) ऐसे मामलों में समिति की कार्यवाही एवं बहुमत की अनुशंसा जो उन्हें भेजी जाती है उसे गोपनीय रखी जाए एवं दर्ज कर दी जाए और उसकी एक प्रति संबंधित मंडल समिति के प्रत्येक सदस्य को भेज दी जाएगी, प्रत्येक विभागाध्यक्षों को एक एक प्रति एवं 10 प्रति महाप्रबंधक को भेज दी जाएगी।

7.0 यात्रा सुविधा एवं यात्रा भत्ताः

गैर सरकारी सदस्य हेतुः मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य जब वे समितियों की बैठक में भाग लेते हैं तो उन्हे निम्न दर्शाए गए के अनुसार यात्रा सूविधाए एवं यात्रा भत्ता की मंजूरी दी जाएगी।

i) सदस्य के निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से बैठक के स्थान तक निःशुल्क प्रथम श्रेणी रेल पास जारी किया जाएगा और उसका एक परिचर द्वितीय श्रेणी पर यात्रा कर सकेगा।

ii) वापसी यात्रा के लिए उसी प्रकार की सुविधा होगी।

वापसी यात्रा के लिए स्थायी या अस्थायी आवास की जगह पर अन्य स्थान का पास जारी किया जा सकता है वशर्ते की उस स्टेशन की दूरी जारी किए गए पास की दूरी से उस जगह की दूरी कम हो।

iii) निकटतम रेलवे स्टेशन से अगर उनका आवास 8 किलोमीटर से अधिक है तो उनके आवास से रेलवे स्टेशन का यात्रा के लिए उन्हें वास्तविक जेब खर्च के लिए अधिकतम 4 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से राशि दी जा सकती है।

iv) सदस्य के आवासीय जगह से निकटतम रेलवे स्टेशन और बैठक के स्थान पर जाने एवं आने हेतु कोई भी कैलेण्डर दिन या एक से अधिक दिन के लिए पाकेट खर्च हेतु बैठक की अवधि के दौरान 200 रुपये की दर से बैठक के दिन एवं रु. 100/- की दर से यात्रा में बिताये दिनों के लिए दैनिक भत्ता दिया जायगा।

v) जिस शहर में बैठक हो रही है उसके सेटेलाईट लोकेशन में रहनेवाले डी.आर.यू.सी.सी. के गैर सरकारी सदस्य वास्तविक परिवहन भाड़ा या 200 रुपये प्रतिदिन ,जो भी कम हो,पाने के हकदार होंगे ।

8.0 यात्रा सुविधा एवं यात्रा भत्ताः

सरकारी सदस्यः

i) सरकारी सदस्य जो क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति में राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर, उद्योग उपक्रम का प्रतिनिधित्व करते है। उनके लिए निःशुल्क प्रथम श्रेणी रेल पास राज्य सरकार के मुख्यालय और अथवा पब्लिक सेक्टर, उद्योग उपक्रम से बैठक स्थान तक एवं वापसी हेतु जारी किया जायेगा और एक परिचर द्वितीय श्रेणी पर यात्रा कर सकेगा।

ii) सरकारी सदस्य की यात्रा भत्ता राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर, उद्योग/उपक्रम द्वारा दिया जायेगा।

9.0 यदि कोई सदस्य दो समितियों में विशेष अभिरुचि की श्रेणी के अंतर्गत अर्थात मं.रे.उ.स.स. एवं क्षे.रे.उ.स.स. अथवा दो विभिन्न मं.रे.उ.स. समिति के लिए नामित किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का नामांकन एक समिति से रद्द कर दिया जायेगा और उसकी सदस्यता उन समितियों में रख दी जायेगी जहा पर उनका स्थायी पता है।

10.0 सदस्यों की वर्गीकरणः

i) सरकारी सदस्यः राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रम, पार्ट एवं अर्द्धसरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों जो सरकारी सदस्यों के श्रेणी में आते है।

ii) गैर सरकारी सदस्यः उन सदस्यों के अलावा जो उपर्युक्त पैरा 10.0(i) में जैसा कि उल्लिखित है के बाकी बचे सदस्यों को गैर सरकारी सदस्यों के रुप में माना जाए।

11.0 मं.रे.उ.स.स. समिति जो इन नियमों के अंतर्गत गठित की गई है अपने आप में बिल्कुल परामर्शदायी होगी।

12.0 परिचय पत्रः

प्रत्येक सदस्य को पहचान पत्र जारी करने के लिए दो स्टाम्प साईज फोटोग्राफ प्रस्तुत की जानी है। सदस्यों को जारी किया गया पहचान पत्र निःशुल्क रेलवे पास के रुप में नहीं समझा जाना चाहिए। पहचान पत्र खो जाने की स्थिति में मं.रे.उ.स.स. के सदस्य को एफ.आई.आर. प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ इस संबंध में निवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। रेलवे इस पर दूसरा नया पहचान पत्र (Duplicate) दर्शाते हुए जारी कर सकती है।

13.0 चुनावः

13.1 क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति वास्ते प्रत्येक सत्र के लिए एक प्रतिनिधि भेजने के लिए गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होगा। इस प्रकार के चुनाव तभी कराया जाए जब समिति पूर्णतः गठित कर ली गई हो।

13.2 गैर सरकारी सदस्य जैसा कि पैरा 10.0 (ii) के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया गया है वे सिर्फ क्षे.रे. उ.स.समिति के प्रतिनिधि के रुप में चयनित किए जाने के लिए चुनाव में भाग ले सकते है।

13.3 केवल गैर सरकारी सदस्य उपर्युक्त कार्य के लिए अपना मत देने के पात्र है।

14.0 अनुपालन हेतु मार्गदर्शन:

14.1 गैर सरकारी समितियों के सदस्यों के पदनाम जो उनके पत्र शीर्ष लेटर हेड एवं विजिटिंग कार्ड आदि पर मुद्रित हों वे पूरी तरह से उनके नामांकन पत्र के अनुसार होने चाहिए।

14.2 उन्हें सरकार की अनुमति के बिना लेटर हेड, स्टैट्स, क्रेस्ट्स, बैजों, हाउस फ्लैगों अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सरकारी प्रतीकों के प्रयोग करने की अनुमती नहीं है।

....